कार्यालय अधिष्ठाता

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म. प्र.)

ई –मेल : deanshivpuri@gmail.com वेबसाईट : https://shivpurimedicalcollege.com

क्रमांक. 14635/क्रय/2022 शिवपुरी, दिनांक – 14/12/2022

//निविदा आमंत्रण सूचना//

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) में कार्यरत समस्त स्टॉफ एवं परिसर में रहने वाले चिकित्सा शिक्षक, एम.बी.बी.एस. के छात्र एवं कर्मचारियों के लिये कॉलेज परिसर मे एक रेस्टोरेन्ट कम कैफे खोला जाना है, जिसमें उक्त रेस्टोरेन्ट की कम से कम 20 Franchise (फ्रेन्चाइजी) होना अनिवार्य है इस हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है, निविदा सील बंद लिफाफे में निर्धारित दिनांक– 31.12.2022 तक चिकित्सा महाविद्यालय के आवक शाखा में जमा करावें। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय के स्वाशासी शाखा से शुल्क 1,000/– नगद जमा कर प्राप्त कर सकेंगे।

1– निविदा प्रपत्र क्रय करने की प्रारंभिक तिथि : **15.12.2022**

2– प्री–बिड मीटिंग दिनांकः **22.12.2022 समय– 11:00 AM (स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है)**

3– निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि : **31.12.2022**

4– निविदा महाविद्यालय के आवक शाखा में जमा करने की अंतिम तिथि : **31.12.2022**
अ– प्रथम तकनीकी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : **31.12.2022**
ब– दर प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि : **31.12.2022**

5– निविदा खोलने की तिथि : **04.01.2023**
अ– प्रथम तकनीकी बिड खोलने की तिथि : **05.01.2023**
ब– तकनीकी बिड पूर्ण होने पर दर प्रपत्र खोलने की तिथि : **05.01.2023**

निविदा से संबंधित अन्य जानकारी इस कार्यालय की बेवसाइट www.shivpurimedicalcollege.com से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा कार्य की शर्ते निम्नानुसार है–

1. रेस्टोरेन्ट कम कैफे में ग्रहको को देने वाले फूड की सूची निविदा आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न कर देना अनिवार्य है एवं उक्त खाने की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए।
2. रेस्टोरेन्ट Franchise **(फ्रेन्चाइजी)** की कम से कम वर्तमान मे चलित 20 स्टोर/आउटलेट होना अनिवार्य है एवं Franchise (फ्रेन्चाइजी) Nationalised (राष्ट्रीकृत) होना चाहिये।
3. रेस्टोरेन्ट Franchise **(फ्रेन्चाइजी)** को समस्त प्रकार के फूड जैसे ब्रेकफास्ट, साउथ, नोर्थ इंडियन, चाईनिज, स्नैक्स, लंच, डिनर, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय, कॉफी आदि उपलब्ध करवाना अनिवार्य है, जिसके लिये आपको निविदा के साथ अपनी दर सूची एवं सामग्री का नाम उपलब्ध करवाना होगा।
4. फर्म के मालिक के पास पूर्व मे किये गये कार्यो में संबंधित कार्य का 03 साल का शासकीय अनुभव अनिवार्य है।
5. उक्त रेस्टोरेन्ट Franchise **(फ्रेन्चाइजी)** का टर्न ऑवर प्रतिवर्ष कम से कम 20 लाख या उससे अधिक होना चाहियें।
6. रेस्टोरेन्ट Franchise **(फ्रेन्चाइजी)** GST Registred होना चाहियें एवं टी.डी.एस. कटना चाहियें।
7. चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा रेस्टोरेन्ट को अगले 03 वर्ष के लिये मान्यता दी जावेगी, एवं कार्य और फूड की गुणवत्ता के आधार पर प्रत्येक 05 साल की अवधि के लिये बढाया जावेगा।
8. फर्म को फूड इंस्पेक्टर का प्रमाणित प्रमाण पत्र (फूड लाईसेन्स) देना अनिवार्य है।
9. फर्म के पास Fssai Certificate होना अनिवार्य है।
10. रेस्टोरेन्ट में सफाई हेतु जगह–जगह डस्टबिन एवं रेस्टोरेन्ट के अंदर सफाई रखना अनिवार्य है एवं रेस्टोरेन्ट का कचरा परिसर मे रखे बडे डस्टबिन या कचरा गाडी में डालना होगा।
11. रेस्टोरेन्ट मे दिये जाने वाले सामग्री में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिये, शिकायत आने पर कमेटी द्वारा 03 मौके देने के पश्चात् न सुधरने पर बिना किसी पूर्व सूचना के टेन्डर निरस्त कर दिया जावेगा।

12. रेस्टोरेन्ट में किसी भी प्रकार का तम्बाकू, मंदिरा (एल्कोहल) का सेवन करने या बेचे जाने पर टेन्डर निरस्त कर दिया जावेगा।
13. रेस्टोरेन्ट मालिक को टेन्डर मिलने के पश्चात् राशि 100रू का स्टांप नोटरी सहित देना होगा, जिसमें संबंधित के द्वारा भविष्य में परिसर में या रेस्टोरेन्ट में किसी भी प्रकार की टोडा–फोडी की जाती है, तो उसको वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा दी जा रही स्थिति में देना अनिवार्य है।
14. रेस्टोरेन्ट मालिक को टेन्डर मिलने के पश्चात् बिजली का मीटर स्वयं के स्तर पर लगवाना अनिवार्य है, एवं उसका मासिक भुगतान संबंधित को ही करना होगा।
15. रेस्टोरेन्ट मालिक को टेन्डर मिलने के पश्चात् पानी का मासिक बिल स्वयं के स्तर पर चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी को देना होगा या संबंधित अपने स्तर से भी पानी संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकता है। (महाविद्यालय की पानी की दर अनुबंध के समय दर्शायी जावेगी)
16. रेस्टोरेन्ट मालिक को टेन्डर मिलने के पश्चात् रेस्टोरेन्ट में होने वाले झगडे एवं लडाई आपको स्वयं के स्तर पर निपटाना होगा, कॉलेज प्रशासन आपकी सहायता नहीं करेगा।
17. रेस्टोरेन्ट लेने से पूर्व संबंधित कॉलेज परिसर की भूमि को दिखा कर लोन नहीं लेगा, अन्यथा टेन्डर निरस्त कर दिया जावेगा।
18. चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा आपको किसी भी प्रकार की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जावेगी, आपको रेस्टोरेन्ट संबंधित समस्त सामग्री एवं फर्नीचर स्वयं के स्तर पर व्यय करना होगा।
19. चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा निर्धारित दिनांक–22.12.2022 को प्री–बिड मीटिंग में आपको स्वयं आकर रेस्टोरन्ट की जगह, मॉडिफेकिशन एवं संबंधित सभी चीजे देख कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूची बना कर आवक शाखा में प्रस्तुत करें, उक्त कार्य न करने पर आपका निविदा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा, अधिष्ठाता की अनुमति के पश्चात् ही आवेदन मान्य किया जावेगा।
20. चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा रेस्टोरेन्ट का मासिक किराया न्यूनतम राशि 10,000/– तय किया गया है, जो कि आपको प्रत्येक माह की 15 तारिख तक स्वशासी शाखा में स्वयं जमा कराना होगा। मासिक दर को शासन नियामनुसार घटाया–बढाया भी जा सकता हैं।
21. निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनका प्रतिधि उपस्थित रह सकता है, इस हेतु उन्हे अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को शासन अवकाश की घोषणा कर दी जाती है तो प्राप्त निविदायें आगामी कार्यदिवस में खोली जावेंगी।
22. बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जावेगा।
23. **टेक्नीकल बिड– 1. योग्य व्यक्ति को संबंधित कार्य में कम से कम पूर्व में किये गये 03 साल का शासकीय कार्य अनुभव की प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।**
2. योग्य व्यक्ति को Franchise (फ्रेन्चाइजी) के कम से कम 20 आउटलेट्स, जो वर्तमान मे कहीं भी संचालित हो उसकी प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदा दो बिड पद्धति के आधार पर ही होगी, जो क्रमशः निविदा धरोहर राशि आवश्यक दस्तावेज/तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में प्राप्त की जावेगी।
24. योग्य फर्म को कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त 01 महीने के भीतर अपना आउटलेट सुचारू रूप से प्रारंभ करना होगा।
25. प्रपत्र जमा करते समय क्रय की गई रसीद की कॉपी भी प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

(डॉ. के. बी. वर्मा)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया
चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी (म.प्र.)